राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8015/2017

सचिव प्रशासन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राष्ट्रीय बिजली कर्मचारी यूनियन (इंटक) राजस्थान, मजदूर मैदान, पुराना पावर हाउस, राम मंदिर के पास, जयपुर, राजस्थान (कर्मचारी किशन लाल शर्मा)।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री वीरेंद्र लोढ़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जय लोढ़ा, अधिवक्ता के साथ
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री सुरेश कश्यप, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

रिपोर्टेबल

24/01/2023

याचिकाकर्ता-नियोक्ता द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 02.012.2016 के निर्णय को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर को एक संदर्भ दिया गया था, जिसके तहत प्रत्यर्थी-कर्मचारी के दावे पर 595/- रुपये के 19.04.1985 से मूल वेतन के उसके अधिकार के संबंध में निर्णय सुनाया जाना था और यदि समान वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, तो क्या कर्मचारी किसी राहत का पात्र था या नहीं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पंचाट की आलोचना करते हुए निम्नलिखित दलीलें दीं:-

1. याचिकाकर्ता को 580/- रुपये प्रतिमाह के मूल वेतन का पात्र मानकर उसे राहत देने में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि हुई है, क्योंकि ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

2. औद्योगिक न्यायाधिकरण संदर्भ के दायरे से बाहर गया है और कानून की नजर में इसकी अनुमति नहीं है।

3. चूंकि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने प्रतिमाह मूल वेतन के रूप में 580/- रुपये की राहत के लिए प्रार्थना नहीं की थी, इसलिए किसी भी प्रार्थना के अभाव में ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती थी।

4. राहत, जैसा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने कहा है, नहीं की जा सकती थी, क्योंकि प्रत्यर्थी-कर्मचारी को 580/- रुपये प्रतिमाह का मूल वेतन पाने के अधिकार के संबंध में दलीलों की कमी थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता **सुरेश चंद्र बनाम महाप्रबंधक, राज.राज्य पुल एवं निर्माण निगम ने 2002(3) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 67** में प्रकाशित के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है। पैरा 6, 11, 15 और 16 यहां उद्धृत किया गया है: -

> "**6.** किसी मामले से निपटने का क्षेत्राधिकार क़ानून का निर्माण है और इसे पक्ष की सहमति या न्यायालय के आदेश से नहीं बनाया जा सकता है। (यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम देयर वर्कर्स (1), केसर सिंह और अन्य बनाम साधु (2) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकार क्षेत्र के बिना एक डिक्री एक निरर्थकता है और जब मामला क्षेत्राधिकार की मूल में जाता है, तो इसे निष्पादन कार्यवाही में भी उठाया जा सकता है। यदि फोरम के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं पाया जाता है तो न्यायालय या न्यायाधिकरण का निष्कर्ष अप्रासंगिक और अप्रवर्तनीय/निष्पादन योग्य हो जाता है। गुजरात राज्य बनाम राजेश कुमार चिमनलाल बारोट और अन्य, एआईआर 1996 एससी 2664. (वीडियो देखें)
>
> **11.** बॉम्बे गैस कंपनी लिमिटेड बनाम गोपाल भिवा और अन्य, एआईआर 1964 एससी 752 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों की जांच की और माना कि श्रम न्यायालय एक है सीमित क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय और यह केवल संदर्भित विवाद और उससे जुड़े मामलों से

निपट सकता है, लेकिन संदर्भ की शर्तों से आगे नहीं बढ़ सकता है:

15. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि श्रम न्यायालय के पास संदर्भ की शर्तों को सही/संशोधित/परिवर्तित करने या नाम या समाप्ति की तारीख आदि को सही करने की क्षमता का अभाव है और यदि ऐसा होता है तो इसलिए, खराब संदर्भ के आधार पर, क्षेत्राधिकार के बिना होने के कारण पंचाट अमान्य हो जाता है।

16. इस प्रकार, दिनांक 25.4.2000 के आक्षेपित निर्णय को अमान्य, अप्रवर्तनीय और निष्पादन योग्य घोषित किया जाता है और इसे अपास्त कर दिया जाता है। संदर्भ में संशोधन के लिए कर्मकार उपयुक्त सरकार से संपर्क कर सकता है। चूँकि मामला बहुत पुराना है, यदि श्रमिक ऐसा कोई आवेदन करता है, तो उपयुक्त सरकार से उसके आवेदन पर शीघ्र उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया जाता है और यदि संदर्भ दिया जाता है, तो श्रम न्यायालय से दावा याचिका का शीघ्र निपटान करने का अनुरोध किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।"

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-कर्मचारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और पूरे साक्ष्य को ध्यान में रखने के बाद दर्ज किए गए निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह साक्ष्य की पुनः जांच के समान होगा।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी को दी गई राहत एक 'आकस्मिक राहत' है और यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद '1947 का अधिनियम' के रूप में पढ़ा जाएगा) की धारा 10 (4) के तहत स्वीकार्य है। कोई त्रुटि नहीं हुई है.

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कामगार ने अपने दावे का बयान दर्ज करते समय, उन कर्मचारियों के विशिष्ट नाम दिए थे, जो प्रत्यर्थी-कर्मचारी के समान स्थिति में थे, लेकिन समान वेतन के सिद्धांत पर, प्रत्यर्थी-कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे थे। समान कार्य अर्थात समान स्थिति वाले कर्मचारियों के लिए, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण ने सही निर्णय पारित किया है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 595/- रुपये के मूल वेतन की पात्रता को उचित नहीं पाए जाने पर भी, श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी-कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में

580/- रुपये प्रतिमाह की पात्रता के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद सही राहत दी है।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी द्वारा जो दावा किया गया था वह हेल्पर के पद से एल.डी.सी. के पद पर नियुक्ति पर प्रतिमाह 595/- रुपये के मूल वेतन के संबंध में था।

इस न्यायालय ने पाया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पक्षों के साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अन्य व्यक्ति भी थे, जिन्हें प्रत्यर्थी-कर्मचारी की तरह नियुक्त किया गया था और उन्हें 580/- रुपये का मूल वेतन मिल रहा था और इस तरह, दावा किया गया प्रत्यर्थी-कर्मचारी को ऐसा वेतनमान देना उचित पाया गया।

इस न्यायालय ने निर्णय पर गौर करते हुए आगे पाया कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी द्वारा अपने दावे के बयान में जो विशिष्ट नाम दिए गए थे, उनके सेवा विवरण को भी ध्यान में रखा गया था और तदनुसार, प्रत्यर्थी-कर्मचारी को वही लाभ दिया गया है और इस प्रकार, किसी भी कल्पना से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि औद्योगिक विवाद ने प्रत्यर्थी-कर्मचारी को राहत दी है जिसके लिए वह पात्र नहीं था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी को राहत देने जैसी न्यायिक त्रुटि हुई है, दावे के बयान में उनके द्वारा कोई विशेष प्रार्थना या राहत नहीं मांगी गई थी, इस न्यायालय ने पाया कि धारा 10(4) 1947 का अधिनियम संदर्भ का निर्णय करते समय औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है और धारा 10 की उप-धारा (4) के अनुसार, श्रम न्यायालय को न केवल विवाद के बिंदुओं पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। न्यायनिर्णयन के लिए लेकिन यह 'आकस्मिक मामलों' का भी निर्णय कर सकता है।

इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में कोई दम नहीं मिला कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहत के रूप में अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ तुलना करके विशेष वेतनमान देना मुख्य विवाद का 'आकस्मिक मामला' नहीं है जिसे श्रम न्यायालय को संदर्भित किया गया था।

इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी के प्रतिमाह मूल वेतन के रूप में 595/- रुपये और समान स्थिति वाले कर्मचारियों को वेतनमान देने के उनके दावे को खारिज कर दिया गया है, जिन्हें प्रत्यर्थी-कर्मचारी के साथ नियुक्ति भी दी गई थी। वर्ष 1985 में एल.डी.सी. के रूप में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को वेतन प्रदान करते समय समान मानदंड लागू किए जाने थे।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि निचली अदालत संदर्भ के दायरे से बाहर चली गई है, को भी खारिज कर दिया गया है।

श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रत्यर्थी-कर्मचारी के दावे पर विचार करते समय उठाए गए विवाद पर निर्णय देना होता है और यदि पद का कुछ नामकरण अलग है या एक विशेष वेतनमान अलग-अलग समय पर प्रचलित है, तो राहत देने में बाधा नहीं हो सकती यदि उसकी पात्रता अन्यथा सिद्ध हो।

इस न्यायालय ने पाया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करते हुए निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा कि एल.डी.सी., जो पहले हेल्पर के रूप में काम कर रहे थे और यदि बाद में एल.डी.सी. के पद पर नियुक्त हुए, तो वे रुपये 580/- के वेतनमान के पात्र थे। और इस प्रकार, प्रत्यर्थी को समान राहत देकर कोई त्रुटि नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस समय प्रस्तुत किया कि अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ, जैसा कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने दावा किया था, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कारण था, जिसके तहत एल.डी.सी. के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को प्रतिमाह 580/- रुपये के मूल वेतन का लाभ दिया गया था और चूंकि प्रत्यर्थी-कर्मचारी इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मुकदमे में एक पक्ष नहीं था और इस तरह, उसे लाभ नहीं दिया जा सकता है।

यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें स्वीकार करने से विलग हो रहा है। यदि इस न्यायालय ने अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के संबंध में विवाद का निर्णय किया है, तो नियोक्ता यह नहीं कहेगा कि जो व्यक्ति श्रम न्यायालय में गया है, वह लाभ पाने से वंचित रहेगा, क्योंकि उसने उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं किया

था।

यह न्यायालय पाता है कि यदि किसी विशेष वेतनमान के लिए किसी कर्मचारी की पात्रता के संबंध में मुद्दा उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है, तो जाहिर तौर पर श्रम न्यायालय के लिए उक्त पहलू पर विचार करना आवश्यक था और तदनुसार, श्रम न्यायालय ने दर्ज किया है आदेश दिया गया है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को, यदि किसी विशेष वेतनमान के लिए पात्र ठहराया गया है, तो ऐसे लाभ से प्रत्यर्थी-कर्मचारी को केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे में पक्षकार नहीं है।

इस न्यायालय ने पाया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट में राहत देने के लिए प्रासंगिक कारकों, पक्षों की दलीलों और उसके सामने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है और तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी राहत का पात्र था, जो उसे प्रदान कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सुरेश चंद्र बनाम **महाप्रबंधक, राज. राज्य पुल और निर्माण निगम (सुप्रा.),** के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा जताया है। इस न्यायालय ने मामले के संपूर्ण तथ्यों को ध्यान से पढ़ने पर पाया कि श्रम न्यायालय ने बहाली के बदले मुआवजे का निर्णय सुनाया था और यह संदर्भ की शर्तों में से एक नहीं था और तदनुसार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है।

इस न्यायालय ने, मामले के वर्तमान तथ्यों में पाया है कि यदि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने कोई विवाद उठाया है और अंततः राज्य सरकार द्वारा विशेष वेतन या वेतनमान का दावा करने के लिए संदर्भ दिया गया है, तो श्रम न्यायालय ने पाया है कि राहत प्रत्यर्थी-कर्मचारी द्वारा दावा किया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों को दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रम न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और इस प्रकार, उक्त मामला याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है। .

तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है। लागत के संबंध से कोई

आदेश नहीं।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Monika/13

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।